भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 718
29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मसालों में कीटनाशक के उपयोग पर प्रतिबंध

718. श्री इमरान मसूद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों ने कैंसरकारी तत्वों की संदिग्ध उपस्थिति के कारण कई भारतीय मसाला ब्रांडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है;
(ख) यदि हां, तो कैंसरकारी कीटनाशकों का संदिग्ध उपयोग करने वाले मसालों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) इन चुनौतियों से निपटने और घरेलू बाजार में बिक्री तथा निर्यात हेतु भारतीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सुरक्षित होने और गुणवत्तापूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, इससे पहले, भारत से निर्यात किए गए कुछ मसाला मिश्रणों के विशिष्ट बैचों को हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों द्वारा अनुमेय सीमा से अधिक एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) होने के कारण वापस लिया गया था।

मसाला बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय ने इन गंतव्यों को निर्यात किए जा रहे मसालों की अनिवार्य प्री-शिपमेंट जांच, सभी चरणों नामतः कच्चे माल की खरीद, प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि, आयात करने वाले देश की अलग-अलग ईटीओ सीमाओं को पूरा करने के लिए संभावित ईटीओ संदूषण को रोकने के लिए निर्यातकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले व्यापक दिशानिर्देश जारी करने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, देश भर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मसालों सहित विभिन्न

खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूनाचयन करता है, ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जा सके।

उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के मामलों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

******